



पत्रांक :- 268 / अ0छा0 कल्याण / छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति / 2023-24

दिनांक : फरवरी, 2024  
12

### // आवश्यक सूचना //

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है, उनमें से कतिपय विद्यार्थियों को करेक्शन के लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करा दिया गया (12.02.2024 से 15.02.2024) सम्बन्धित छात्र केवल सस्पेक्ट सम्बन्धी विवरण का ही संशोधन करने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थान से पुनः अग्रसारित भी कराना होगा तभी संशोधन पूर्ण माना जायेगा। आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गये हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के स्तर से आवेदन पत्र को ठीक/सही करते हुये वांछित प्रपत्र/अभिलेखों सहित प्रार्थना पत्र दिनांक तक संबंधित छात्र केवल सस्पेक्ट संबंधी शिक्षण दशा में अनिवार्य रूप से अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण के कार्यालय जमा करा दें। संलग्नको का विवरण निम्नवत् है-

1. छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।
3. वर्तमान स्टेटस की प्रति।
4. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य की प्रति।

(डॉ आशुतोष पाण्डेय)  
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(डॉ आशुतोष पाण्डेय)  
अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण